मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग,

मंत्रालय,वल्लभ भवन

ज्ञाप क्रमांकः एफ 44-14/2012/20-2 भोपाल, दिनांक : 08-5-12

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

मध्यप्रदेश

विषयः–द्वितीय गुरूजी पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के पद पर नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।

संदर्भः स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 54/03/2012/20–2 दिनांक 24.01.2012

मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक(नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम,2005 के नियम 7(क) के उपनियम (4) में दिये गए प्रावधान के अनुसार शासन के सन्दर्भित आदेश दिनांक 24.01.2012 द्वारा मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा दिनांक 09.02.2012 को घोषित द्वितीय गुरूजी पात्रता परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जनपद पंचायत के अधीन संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पद पर नियुक्ति दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित अनुसार कार्रवाई की जाए:–

1. शासन आदेश दिनांक 24.01.2012 के अनुसार वर्तमान में कार्यरत गुरूजी/पर्यवेक्षक तथा औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र के तत्कालीन अनुदेशक तथा पर्यवेक्षकों को जिन्होंने पृथक से आयोजित द्वितीय गुरूजी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में आरक्षित वर्ग(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडावर्ग तथा निःशक्त व्यक्तियों सहित) के लिए 30 प्रतिशत एवं अन्य के लिए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए है, तथा जो शिक्षण प्रशिक्षण (डी.एड./बी.एड.) योग्यताधारी है, उन्हे शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता के 20 अंक देते हुए संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के पद पर नियुक्त करने की कार्रवाई की जाए।
2. उपरोक्त कण्डिका 1 अनुसार मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उत्तीर्ण घोषित किए गए आवेदकों की सूची आपको भेजी जा रही है। सूची में उल्लेखित आवेदकों के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित की है, उसका परीक्षण मूल प्रमाणपत्रों से कर लिया जाए।
3. शासन के आदेश क्रमांक एफ 44–56/2007/20–2 दिनांक 14.05.2010 अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप द्वितीय गुरूजी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के पद पर नियुक्ति के हकदार होगें। (आदेश की प्रति संलग्न)

4. द्वितीय गुरूजी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों का परीक्षण जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा। उत्तीर्ण सूची में शामिल अभ्यर्थियों से संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किए जाए। प्राप्त आवेदनों को पृथक कर तीन भागों में निम्नानुसार बाँट ले तथा शेष बचे आवेदनों को अभिलेख में सुरक्षित रखें।

(अ) शिक्षा गारंटी शालाओं के कार्यरत गुरूजी।

(ब) शिक्षा गारंटी शालाओं हेतु कार्यरत पर्यवेक्षक।

(स) म.प्र.शासन के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रो के पर्यवेक्षक/अनुदेशक।

उपरोक्तानुसार पृथक किए गए आवेदन पत्रों का निम्नानुसार परीक्षण किया जाए :-

4.1 **शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र**–उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा अथवा समकक्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जॉच उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा अथवा समकक्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की अंक सूची की मूल प्रति से करें। डूप्लीकेट अंक सूची/ प्रमाण पत्र होने पर उसकी पुष्टि संबंधित बोर्ड/मण्डल से कराई जाए।

4.2 **आयु** – नियुक्ति हेतु अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम् आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। जन्मतिथि के प्रमाण हेतु कक्षा दसवीं /ग्यारहवीं ,जो भी बोर्ड परीक्षा रही हो , की मूल अंक सूची मान्य की जाए।

4.3 **जाति प्रमाणपत्र** – सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के जातिप्रमाण पत्र की जाँच उनके मूल स्थाई जाति प्रमाण पत्र से की जाए। ऐसे आवेदक जिनकी जाति व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत उल्लेखित है तथा वे सामान्य जाति के है तो उनके लिए उत्तीर्ण अंको का प्रतिशत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार होना चाहिए। इसी प्रकार सामान्य वर्ग में दर्शित आरक्षित वर्ग(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडावर्ग तथा निःशक्त व्यक्तियों सहित) के अभ्यर्थी स्थाई जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते है तो उनके लिए अर्हताकारी अंक शासन मापदण्ड अनुसार अनुज्ञात कर उनके नियुक्ति की कार्रवाई की जाए।

उत्तीर्ण पाए गए अभ्यर्थियों की उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता एवं आयु तथा जाति के सत्यापन उपरान्त निम्नानुसार बिन्दुओं पर भी आवेदन पत्रों की जाँच पृथक–पृथक निम्नानुसार की जाए –

(अ) **शिक्षा गारंटी शाला के गुरूजियों हेतु :–**

(1) नियुक्ति आदेश अथवा अनुबंध :– नियुक्ति आदेश या पालक शिक्षक संघ /शाला प्रबंधन समिति /ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत के साथ किया गये आदेश/अनुबंध की मूल प्रति से मिलान करें। 01.01.1998 के बाद नियुक्त गुरूजियों के नाम की पुष्टि जिला ई.जी.एस. समिति की बैठक के कार्रवाई विवरण /बैठक के आधार पर उसके उपरान्त जारी निर्देश/आदेश /स्वीकृति से भी की जाए।

(2)नियुक्ति/अनुबंध दिनांक :– वर्तमान में कार्यरत ऐसे गुरूजी जो शासन के पत्र क्रमांक एफ 57–36/2004/20–2 दिनांक 19.7.2005 के पूर्व से नियुक्त हो।

(3)निरन्तरता– नियुक्ति/अनुबंध की दिनांक से जो कि 19.07.2005 के पूर्व की हो से वर्तमान तक नियमित मानदेय प्राप्त किया हो, ऐसे गुरूजी ही संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 में नियोजन के पात्र होगें। शिक्षा गारंटी शालाओं में कार्यरत गुरूजी जो चयन परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए है कि सेवा निरन्तरता की पुष्टि संबंधित विकासखण्ड स्रोत केन्द्र /जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति एवं मानदेय के सत्यापन पत्रक से ही की जावें।

(4)न्यायालयीन विवाद :– गुरूजी की नियुक्ति संबंधी वाद न्यायालय में प्रचलित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्णय के अद्यधीन रखी जाएं।

(5)अनुशासनात्मक कार्यवाही :– अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्डित होने पर नियुक्ति नही की जाएं। इसकी पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के मुख्यकार्यपालन अधिकारी दोनों से तदानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

(6)अन्य परिस्थितियाँ :– उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उदभूत होने पर विशेष प्रकरण मानकर इसका निराकरण राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार किया जाए।

(ब) **शिक्षा गारंटी शाला के पर्यवेक्षकों हेतु :–**

(1) नियुक्ति आदेश :– नियुक्ति आदेश की मूल प्रति से मिलान करें।

(2) नियुक्ति दिनांक :–शिक्षा गारंटी शाला के पर्यवेक्षक के प्रकरण में जिला परियोजना कार्यालय (वर्तमान जिला शिक्षा केन्द्र) से अनुमोदन दिया जाता था, अतः नियुक्ति की पुष्टि जिला कार्यालय में उपलब्ध प्रति से तथा जनपद पंचायत के द्वारा जारी नियुक्ति आदेश से की जाएगी। यह किसी भी स्थिति में 31 दिसम्बर 2000 के बाद की नही होना चाहिए।

(3) **निरन्तरता :– नियुक्ति/अनुबंध की दिनांक से जो कि 31 दिसम्बर 2000 के पूर्व की हो,** वर्तमान तक [illegible] नियमित, रूप से मानदेय प्राप्त किया हो, ऐसे पर्यवेक्षक ही संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 में नियोजन के पात्र होगें। पर्यवेक्षक जो चयन परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए है, कि सेवा निरन्तरता की पुष्टि संबंधित विकासखण्ड स्रोत केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति एवं मानदेय भुगतान के सत्यापन पत्रक से की जावें।

(4) **न्यायालयीन विवाद :–** पर्यवेक्षक की नियुक्ति संबंधी वाद न्यायालय में प्रचलित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्णय के अद्यधीन रखी जाएं।

(5) **अनुशासनात्मक कार्यवाही :–** अनुशारानात्मक कार्यवाही में दण्डित होने पर नियुक्ति नही की जाएं। इसकी पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के मुख्यकार्यपालन अधिकारी दोनों से तदानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

(6) **अन्य परिस्थितियाँ :–** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उदभूत होने पर विशेष प्रकरण मानकर इसका निराकरण राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार किया जाए।

(स) औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक/पर्यवेक्षकों हेतु :–

(1) **नियुक्ति आदेश :–** नियुक्ति आदेश की मूल–प्रति से मिलान करें।

(2) **नियुक्ति दिनांक :–** अनुदेशक व पर्यवेक्षक के प्रकरण में जारी नियुक्ति आदेश किसी भी स्थिति में 21 अप्रैल 1999 के बाद की नही होना चाहिए।

(3) **निरन्तरता :–** आयुक्त, लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/पी.ए./आयुक्त/2000/36 दिनांक 22 अप्रैल 2000 तथा स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 5–15 /20–2 /2000 दिनांक 29 अगस्त 2000 के अनुक्रम में औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र योजना समाप्ति की तिथि भिन्न–भिन्न जिलों में भिन्न–भिन्न होने के कारण औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक तथा पर्यवेक्षकों की सेवा अवधि की निरन्तरता की गणना करने हेतु **31 मार्च 2000 को अथवा 31 मार्च से 29 अगस्त, 2000 के मध्य की किसी भी दिनांक के एक वर्ष पूर्व से सतत रूप से कार्यरत रहा हो तथा मानदेय प्राप्त किया हो,** के आधार पर ही अनुदेशक/पर्यवेक्षक ही संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के नियोजन हेतु पात्रता का निर्धारण किया जाए। चयन परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये उक्त श्रेणी के अनुदेशक एवं पर्यवेक्षक की सेवा निरंतरता की पुष्टि DEO/BEO Office पर उपलब्ध अभिलेखों यथा कैशबुक, मानदेय भुगतान पत्रक/तत्समय की बैंक पासबुक के आधार पर मानदेय की पुष्टि अनिवार्यतः होनी चाहिए।

(4) **न्यायालयीन विवाद** :– नियुक्ति संबंधी वाद न्यायालय में प्रचलित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्णय के अद्यधीन रखी जाएं।

(5) **अन्य परिस्थितियाँ** :– उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उदभूत होने पर विशेष प्रकरण मानकर इसका निराकरण राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार किया जाए।

5. **जिला स्तरीय छानबीन समिति** :–

उक्त कार्य को सम्पादित करने के लिए जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति कार्य करेगी –

1. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – अध्यक्ष
2. कलेक्टर का प्रतिनिधि – सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास / जिला संयोजक,आदिमजाति कल्याण – सदस्य
5. प्राचार्य,डाईट – सदस्य
6. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी – सदस्य
7. जिले का ओ.आई.सी. – विशेष आमंत्रित सदस्य
8. जिला परियोजना समन्वयक – सदस्य सचिव

6. बिन्दु क्रमांक 5 में उल्लेखित छानबीन समिति निम्न समय सारणी अनुसार इस संबंध में उल्लेखित गतिविधियों को समय–सीमा में सम्पन्न करेगी।

क्रमांक	गतिविधि	गतिविधि सम्पन्न करने की समय–सीमा		रिमार्क
		दिनांक से	दिनांक तक	
1	आवेदन पत्रों की छानबीन	05.06.12	15.06.12	
2	अंनतिम सूची तैयार कर सूचना पटल पर चस्पा करना	16.06.12		
3	अंनतिम सूची पर आपत्तियाँ आमंत्रित करना	17.06.12	27.06.12	
4	आपत्तियों का निराकरण	28.06.12	07.07.12	
5	कलेक्टर से अंतिम सूची पर अनुमोदन प्राप्त करना	08.07.12	09.07.12	अंतिम सूची जारी करने से पूर्व औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक / पर्यवेक्षक के प्रकरणों में चारित्रिक सत्यापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6	अंतिम सूची जारी करना	10.07.12		

8. छानबीन समिति द्वारा तैयार अंतिम सूची पर सभी सदस्य हस्ताक्षर करेगें एवं उनके द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि **"शासन आदेश की उपरोक्त कण्डिकाओं में उल्लेखित बिन्दुओं पर प्रत्येक आवेदक का परीक्षण किया गया है एवं अंतिम सूची शासन के मापदण्डों एवं निर्देशों के अनुरूप ही तैयार की गई है।"** अंतिम सूची की एक प्रति राज्य शिक्षा केन्द्र को

भी उपलब्ध करावे। इस सूची पर जिला कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त किया जाए। अनुमोदन उपरांत अंतिम चयन सूची संबंधित जनपद पंचायतों के सी.ई.ओं. को विहित प्रक्रिया एवं निर्देशानुसार संविदा शाला शिक्षा श्रेणी 3 के पद पर नियोजन हेतु उपलब्ध करायी जाए। जिसकी प्रति शासन को भी पृष्ठांकित की जाए।

9. संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रूप में नियुक्त होने के उपरांत शिक्षा गारंटी शाला में कार्यरत गुरूजी व पर्यवेक्षक एवं म.प्र.शासन के तत्कालिन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षक व अनुदेशक को शासन द्वारा निर्धारित संविदा पारिश्रामिक राशि का भुगतान नियुक्ति दिनांक से किया जायेगा परन्तु अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रूप में आवश्यक सेवा काल की गणना हेतु यह अवधि व्यापम द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि दिनांक 22.10.2011 से मान्य की जायेगी।

10. प्राथमिक शालाओं (पूर्व की शिक्षा गारंटी शालाएं) में कार्यरत गुरूजी व पर्यवेक्षक एवं म.प्र. शासन के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षक व अनुदेशकों के संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रूप में नियुक्ति संबंधी प्रारंभिक कार्यवाही उपरोक्तानुसार की जाए।

(शोभा इवनाती)
उपसचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 45-14/2012/20-2 भोपाल, दिनांक 18-5-12

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन।
2. विशेष सहायक,मा. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी,म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
4. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
5. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
6. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
7. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय,भोपाल।
8. आयुक्त आदिवासी विकास,भोपाल।
9. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
12. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ,मध्यप्रदेश।
14. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास,मध्यप्रदेश।
15. समस्त जिला परियोजना समन्वयक,जिला शिक्षा केन्द्र,मध्यप्रदेश।
16. **http://www.ssa.mp.gov.in/Circulars/educationportal** में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

उप सचिव,
स्कूल शिक्षा

वर्तमान में कार्यरत ई.जी.एस. गुरूजी व पर्यवेक्षक तथा औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र अनुदेशक व पर्यवेक्षकों के लिए म.प्र. संविदा शाला शिक्षक श्रेणी– 3 पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के उपरांत नियोजन हेतु

आवेदन पत्र

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	आवेदक जन्मतिथि (अंकों में)	
4.	आवेदक की जन्मतिथि (शब्दों में)	
5.	आवेदक की जाति (अनु. जाति/ अनु.ज.जा./अन्य पिछडा वर्ग ./ सामान्य)	
6.	क्या आवेदक निःशक्त है ?	हाँ/नही
7.	यदि हाँ तो निःशक्तता का प्रकार	दृष्टि बाधित/अस्थि बाधित
8.	आवेदक का स्थाई पता	
9.	आवेदक का वर्तमान पता	
7.	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष प्राप्तांक /पूर्णांक मंडल का नाम	
8.	व्यावसायिक प्रशिक्षण योग्यता (डी.एड./बी.एड.)	

9	ई.जी.एस. गुरूजी द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी जाएः–	
	• उस प्राथमिक शाला (पूर्व की शिक्षा गारंटी शाला) का नाम जहाँ वर्तमान में गुरूजी कार्यरत है	
	• वर्तमान गुरूजी पद पर नियुक्ति का दिनांक	
	• गुरूजी के वर्तमान पद पर नियुक्ति हेतु जिला शिक्षा केन्द्र का आदेश क्रमांक व दिनांक	
	• गुरूजी के पद पर पदस्थ होने के समय पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंध समिति के साथ अनुबंध होने क्रमांक व दिनांक	
10	ई.जी.एस. पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी जाएः–	
	• उस जनपद शिक्षा केन्द का नाम जिसके अधीनस्थ वर्तमान में पर्यवेक्षक कार्यरत है	
	• वर्तमान पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति होने का आदेश क्रमांक व दिनांक	
11	औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक/ पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी जाएः–	
	• उस औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र का नाम जहाँ पूर्व में अनुदेशक/ पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे ।	
	• पूर्व में अनुदेशक/पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत प्रथम नियुक्ति का आदेश कमांक व दिनांक	
	• अनुदेशक/पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत रहने की अवधि(तिथि से तिथि तक)	

घोषणा पत्र

मैं.....(आवेदक का नाम).....पिता/पति..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही/सत्य है। मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि या असत्य जानकारी पाई जाती है अथवा अपूर्ण जानकारी दी गई है तो मुझे संविदा शाला षिक्षक की नियुक्ति से अपात्र माना जावे। ऐसी स्थिति में, मैं किसी भी प्रकार का वाद,विवाद/प्रतिवाद नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान :–

दिनांक:–

आवेदक नाम ——————

आवेदक के हस्ताक्षर ——————

पत्राचार का पूर्ण पता ——————

–कार्यालयीन उपयोग हेतु –

(जिला स्तरीय छान–बीन समिति द्वारा म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई सूची के आधार पर भरा जावें।)

(1) आवेदक का नाम :.....

(2) पिता/पति का नाम :.....

(3) अनुक्रमांक :.....

(4) जिले का नाम :.....

(5) सूची में सरल क्रमांक :.....

छान–बीन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

1. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – अध्यक्ष
2. कलेक्टर का प्रतिनिधि – सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/ जिला संयोजक,आदिमजाति कल्याण – सदस्य
5. प्राचार्य,डाईट – सदस्य
6. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी – सदस्य
7. जिला परियोजना समन्वयक – सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 14/05/2010

क्रमांक एफ 44-56/2007/बीस-2 मध्यप्रदेश पंचायत सविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं सविदा की शर्तें) नियम 2005 के नियम 7 (क) के उप नियम 4 में प्रावधान है कि -
"पात्रता परीक्षा केवल दो बार आयोजित की जाएगी तथा मानक और न्यूनतम अर्हक अंक राज्य सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे ।"

उक्त प्रावधान के अनुक्रम में वर्तमान में कार्यरत् मध्यप्रदेश शिक्षा गारण्टी योजना के गुरूजी तथा पर्यवेक्षकों तथा सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों जो कि 31 मार्च 2000 को अथवा 31 मार्च से 29 अगस्त 2000 के मध्य की किसी भी दिनांक से एक वर्ष पूर्व से सतत रूप से कार्यरत रहा हो, की सविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के पदों पर नियुक्ति हेतु पृथक से आयोजित पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए राज्य शासन, एतद द्वारा, निम्नानुसार प्रावधान करता है :-

1. अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजन) के लिए 30 प्रतिशत एवं अन्य के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए ।
2. क्रमांक '1' के अतिरिक्त सकल रूप से आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजन) के लिए 40 प्रतिशत अंक एवं अन्य के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होना चाहिए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

.....निरंतर

क्र एफ 44–56 / 2007 / बीस–2 भोपाल, दिनांक 14/05/2010

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, म0प्र0शासन
2. विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी/ राज्य मंत्री जी., म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
7. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल
8. आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल
9. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
10. समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश
11. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
12. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला जनपद पचायत, मध्यप्रदेश
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
14. समस्त सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश
15. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश
16. http://www.ssa.mp.gov.in/Circulars.htm,oademo.mp.nic/educationportal में अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग